न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 39/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री भगवान सहाय पुत्र श्री मूलचन्द मित्तल एफबीओ मैसर्स–मित्तल ट्रेडिंग कम्पनी, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा।

– अभियुक्त–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांकः– 01.8.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 24.01.2017 को दोपहर 02:10 बजे मैसर्स– मित्तल ट्रेडिंग कम्पनी, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री भगवान सहाय पुत्र श्री मूलचन्द मित्तल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान पर एक सफेद रंग के खुले कट्टे में करीबन 40 किग्रा बेसन आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये था, में मिलावट का शक होने पर इसमे से हिलामिलाकर नमूने की जॉच हेतु 2 किग्रा बेसन खरीदा। जिसे विक्रेता ने भी हिलामिलाकर साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तोलकर दिया। जिसकी कीमत 180 रू नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि खरीदशुदा बेसन को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन से बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बो पर चिपकाकर डिब्बो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर डिब्बो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1567 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

चिपकाकर डिब्बो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बो को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडो में चपडी से सील मोहर कर डिब्बो पर एफबीओ (विक्रेता) श्री भगवान सहाय के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सीलड बन्द डिब्बो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 25.01.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.01.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 27.01.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/98/एक्ट/2017/164 दिनांक 08.02.2017 डी.ओ व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अन्य फर्म से खरीदकर ही उक्त खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाता है। दुकान पर मैदा/सूजी का भी विक्रय किया जाता है। फर्म पर काम करने वाले व्यक्ति द्वारा अनजाने में बेसन विक्रय करते समय वो ही पात्र काम मे लिया जाने की वजह से भी नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया जा सकता है। प्रथम बार कारित भूल के लिये कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करे

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/98/एक्ट/2017/164 दिनांक 08.02.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री भगवान सहाय पुत्र श्री मूलचन्द मित्तल एफबीओ मैसर्स–मित्तल ट्रेडिंग कम्पनी, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा पर 5,000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 01.8.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.8.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 10450-10452
दिनांकः– 01.8.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री भगवान सहाय पुत्र श्री मूलचन्द मित्तल एफबीओ मैसर्स–मित्तल ट्रेडिंग कम्पनी, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official